DSE 01
SOCIOLOGY OF RELIGION
SECULARISATION MEANING AND DEFINITIONS

Dr. Utpal Kumar Chakraborty
Department of Sociology
ABM College, Jamshedpur

लौकिकीकरण

'Secularisation'

लौकिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप किसी समाज में धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवहार में भेदभाव समाप्त किया जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण जो बुद्धिवाद पर आधारित है, आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक है। चूंकि प्रत्येक समाज अब आधुनिकृत होना चाहता है, इसलिए वह धर्मनिरपेक्षीकरण को आश्रय दे रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो भी राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं था, आज वहाँ भी धर्म निरपेक्षीकरण की बात की जा रही है।

लौकिकीकरण में धर्म की पुर्नव्याख्या, बुद्धिवाद और उदारवाद का सीधा सम्बन्ध है। **डॉ. श्रीनिवास** ने इस प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण किया है। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक समाज की एक मूलभूत विशेषता हो गयी है। आज से कुछ शताब्दी पूर्व भारत में जिन कृत्यों को धार्मिक तथा पवित्र समझा जाता था आज उन्हें व्यर्थ के रूढ़िवादी अतार्किक व्यवहार के रूप में देखा जाता है, एक धर्म तथा जाति का जो विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है, अब वह उस प्रकार से प्रभावी नहीं रहा है। विभिन्न विचारकों का मत है कि भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को गति देने का श्रेय अंग्रेजी शासन को है।

अंग्रेजी शासन अपने साथ भारतीय सामाजिक जीवन और संस्कृति के लौकिकीकरण की प्रक्रिया भी लाया। यह प्रवृत्ति संचार साधनों के विकास और नगरों की बढ़ी हुई स्थान मूलक गतिशीलता और शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ क्रमशः और भी प्रबल हो गईं दोनों महायुद्धों और महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आन्दोलनों ने जन-साधारण को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से सक्रिय तो किया ही, लौकिकीकरण की वृद्धि में भी योग दिया। सन् 1947 के बाद भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्राप्ति का जो प्रयत्न किया है, वह वास्तव में उल्लेखनीय है। स्वतंत्र भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा।' कानून की दृष्टि में भी नागरिकों में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं होगा।

शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अस्तित्व, महत्त्व, पहचान या विकास का धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रत्यक्ष सम्बन्ध तार्किक दृष्टिकोण से है। इसके अन्तर्गत विश्व की व्याख्या विशुद्ध चिन्तन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परम्परागत विश्वासों तथा धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है।

प्रो. श्रीनिवास ने स्पष्ट लिखा है कि 'धर्मनिरपेक्षीकरण' में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था, अब वैसा नहीं माना जाता है।" उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि, उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है जिसके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जा रहे हैं इस प्रकार **श्रीनिवास** ने लौकिकीकरण को मात्र धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में नहीं समझा। इसके अनुसार लौकिकीकरण की दो विशेषताएं प्रमुख हैं :

1. प्रथम तो यह प्रक्रिया इस भावना से सम्बन्धित है कि हम पहले जिसे धार्मिक मानते थे उसे अब धर्म की श्रेणी में नहीं रखते ।

2. दूसरी विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत हम प्रत्येक तथ्य को तर्क बुद्धि से देखने और समझने का प्रयत्न करते हैं। परम्परागत रूप से हमारे सामाजिक जीवन में इन दोनों विशेषताओं का नितान्त अभाव था। कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था की सार्थकता के बारे में तर्क नहीं कर सकता था क्योंकि सम्पूर्ण व्यवस्था को धर्म से मिला दिया गया था।

कन्साईज आक्सफोर्ड शब्दकोष में लौकिकीकरण की कई परिभाषाएँ दी गई हैं। इन परिभाषाओं को लोकवाद, धार्मिक विश्वासों के प्रति सन्देहवाद तथा धार्मिक शिक्षा के प्रति विरोधाभास के रूप में बतलाया गया है, तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोश में लौकिकवाद की निम्न परिभाषा दी गई है—

"(लौकिकवाद) सामाजिक आचारों की एक ऐसी व्यवस्था है जो इस सिद्धान्त पर आधारित है कि आचार सम्बन्धी मापदण्ड तथा व्यवहार विशेष रूप से धर्म से हटकर वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण पर आधारित होने चाहिये।"

वाटर हाऊस ने "लौकिकीकरण की परिभाषा एक ऐसी वैचारिकी के रूप में की है जो जीवन तथा आचार व्यवहार का एक सिद्धान्त प्रस्तुत करती है, जो धर्म द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसका सार भौतिकवादी है। इसकी मान्यता यह है कि मानवीय कल्याण को केवल राष्ट्रीय प्रयासों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।" लेकिन **बेकर** ने यह मानने से इन्कार किया है कि लौकिकवाद एक धर्मविरोधी अवधारणा है। इनका कहना है कि "लौकिक" "अपवित्र" या इसी प्रकार के अन्य शब्दों का पर्यायवाची नहीं है।"

ब्लेडशील्ड ने बेकर के इस विचार का समर्थन किया है। इन्होंने बतलाया है कि "लौकिकवाद धार्मिक संस्थाओं का विरोध नहीं करता। न ही यह विधि, राजनीति तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रक्रियाओं में धार्मिक उत्प्रेरणाओं का विरोधी है। इसमें तो केवल मनोवृत्तियों के प्रकार्यात्मक विभाजन पर बल दिया जाता है अर्थात् विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में शक्तियों का सामाजिक विभाजन।"

ब्लेकशील्ड का कहना है कि धर्म, शिक्षा तथा विधि को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिये और न ही अपने क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जाना चाहिये। जिस सीमा तक धर्म अपनी ही सीमाओं के अन्दर रहता है वहां तक लौकिकवाद की अवधारणा धार्मिक निरपेक्ष मानी जा सकती है। यह न तो धार्मिकता का समर्थन करता है और न ही विरोध।

इस प्रकार लौकिकवाद सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में वह स्थिति है जिसमें विधि तथा शिक्षा धार्मिक संस्थाओं तथा धार्मिक उत्प्रेरणाओं से स्वतन्त्र होते हैं। लौकिकवाद तो एक ऐतिहासिक विकास की अवस्था है जिसमें विधि तथा शिक्षा का धर्म पर आधारित न होना स्थापित हो जाता है।

इस प्रकार यदि लौकिकवाद की विभिन्न परिभाषाओं पर विचार किया जाए तो ऐसे अनेक विषयों की सूची बनाई जा सकती है जिनको इसके अन्तर्गत माना जाता है। जैसे–वैज्ञानिक मानववाद, प्रकृतिवाद और भौतिकवाद, अज्ञेयवाद और प्रत्यक्षवाद, बौद्धिकवाद प्रजातन्त्रवाद तथा साम्यवाद, आशावाद तथा प्रगतिवाद, नैतिक सापेक्षवाद व शून्यवाद आदि।